

## इलेक्ट्रॉनिक अनुमोदन

|               |                                                                                    |                  |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| स्वामित्व:    | Dir, Corp Resp & Sustainability • Executive Division - CS Finance & Administration | दस्तावेज सं.:    | COMM-SC-2000-04 |
| अनुमोदनकर्ता: | SVP, Broadband Quality & OpEx                                                      | संशोधन की तारीख: | 06 फरवरी 2026   |
|               | Sr Dir, Building & Campus Quality                                                  |                  |                 |
|               | Dir, Datacenter Quality                                                            |                  |                 |
|               | Sr Dir, Procurement                                                                |                  |                 |
|               | VP, Procurement CTRO & Ops                                                         |                  |                 |

## 1.0 प्रयोजन

CommScope अपने कारोबार को नैतिक, क़ानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को साझा करने के लिए CommScope अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ जुड़ती है और इसीलिए यह आपूर्तिकर्ता आचार संहिता ("संहिता") स्थापित की गई है। यद्यपि इसके आपूर्तिकर्ताओं पर अलग-अलग क़ानूनी और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ लागू हो सकती हैं, मगर CommScope के आपूर्तिकर्ताओं को CommScope या इसकी किसी भी सहायक कंपनी के साथ कारोबार करने के लिए इस संहिता का पालन करना अनिवार्य है।

यह संहिता संयुक्त राष्ट्र (UN) वैश्विक कॉम्पैक्ट (United Nations (UN) Global Compact) के 10 सिद्धांतों, उत्तरदायी व्यवसाय गठबंधन (RBA) आचार संहिता (Responsible Business Alliance (RBA) Code of Conduct), संयुक्त लेखा परीक्षा सहयोग (JAC) आपूर्ति श्रृंखला के धारणीयता दिशानिर्देशों (Joint Audit Cooperation (JAC) Supply Chain Sustainability Guidelines) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप है। यह संहिता विश्व की सबसे महत्वपूर्ण विकास चुनौतियों से निपटने की दिशा में UN के सतत विकास लक्ष्यों (UN Sustainable Development Goals) (SDGs) के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर मुहर लगाती है।

इन प्रकरणों से निपटने हेतु हम आपूर्तिकर्ताओं को नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ कायम रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने आपूर्तिकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों - यानी ISO14001, ISO45001, SA8000 आदि का इस्तेमाल करते हुए कुशल प्रबंधन प्रणालियाँ लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

## 2.0 कार्यक्षेत्र

यह संहिता CommScope के वर्तमान और संभावित आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होती है।

## 3.0 संबंधित प्रलेखन, गुणवत्ता प्रणाली प्रपत्र, डेटा और रिकॉर्ड

## 3.1 संबंधित प्रलेखन

| संख्या       | पदनाम                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001     | गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (नवीनतम संस्करण)                                                 |
| TL 9000      | दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (जहाँ लागू हो)                                          |
| SA 8000      | <a href="#">सामाजिक उत्तरदायित्व का अंतरराष्ट्रीय मानक</a>                                |
| COMM-SC-2000 | आपूर्तिकर्ता चयन और योग्यता प्रक्रिया                                                     |
| COMM-SC-2020 | आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता मैनुअल                                                              |
| CS-SC-2001   | आपूर्तिकर्ता प्रबंधन प्रक्रिया                                                            |
| 6.1.17       | <a href="#">श्रम नीति</a>                                                                 |
| 6.1.18       | बाल श्रम नीति                                                                             |
| PRC-000011   | <a href="#">पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) नीति</a>                                 |
| N/A          | <a href="#">CommScope आचार और व्यापार आचरण संहिता</a>                                     |
| N/A          | <a href="#">मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणापत्र</a>                                        |
| N/A          | <a href="#">संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट</a>                                         |
| N/A          | <a href="#">उत्तरदायी व्यवसाय गठबंधन आचार संहिता</a>                                      |
| N/A          | <a href="#">संयुक्त लेखा परीक्षा सहयोग (JAC) आपूर्ति श्रृंखला के धारणीयता दिशानिर्देश</a> |

|     |                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | <a href="#">UN के सतत विकास लक्ष्य (SDGs)</a>                                                           |
| N/A | <a href="#">व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मार्गदर्शक सिद्धांत</a>                  |
| N/A | <a href="#">कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की घोषणा</a> |
| N/A | <a href="#">आईएलओ मौलिक सम्मेलन</a>                                                                     |
| N/A | <a href="#">बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के दिशानिर्देश</a>         |

## 4.0 नीति

- 4.1 **क़ानूनों, विनियमों और प्रकाशित मानकों का अनुपालन।** कम से कम CommScope के आपूर्तिकर्ताओं को उन देशों, राज्यों और इलाकों में लागू क़ानूनों, नियमों, विनियमों, संहिताओं और नैतिक मानदंडों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, जहाँ वे काम करते हैं या जहाँ वे CommScope को या उसके उत्पाद, लोग और सेवाएँ प्रदान करते हैं। इसमें पर्यावरण, पेशागत स्वास्थ्य, सुरक्षा, आचारनीति, श्रम पद्धतियों से संबंधित क़ानून और विनियम शामिल हैं, लेकिन बात इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसके साथ-साथ CommScope के आपूर्तिकर्ताओं को अपने आपूर्तिकर्ताओं (श्रम और सेवा एजेंसियों/एजेंटों सहित) से इनका पालन कराना होगा।
- 4.2 **CommScope की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ।** आपूर्तिकर्ताओं को CommScope की प्रकाशित नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना ही होगा, जिनमें हितों का टकराव, भ्रष्टाचार का विरोध, आपूर्तिकर्ताओं के साथ माकूल रिश्ते और CommScope की आचार संहिता एवं व्यावसायिक आचरण के अन्य प्रासंगिक प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। CommScope समय-समय पर इस संहिता सहित इन नीतियों और प्रक्रियाओं को संशोधित कर सकती है, आपूर्तिकर्ता नवीनतम संस्करण को हमेशा सहमति प्रदान करेंगे और इसका अनुपालन करेंगे, जो यहाँ प्राप्त हो सकता है: <https://www.commscope.com/corporate-responsibility-and-sustainability/document-library/>.
- 4.3 **श्रम पद्धतियाँ एवं मानवाधिकार।** हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता अपने कामगारों और अपनी गतिविधियों से प्रभावित होने वाले अन्य लोगों के मानवाधिकारों का संरक्षण एवं सम्मान करेंगे।
- 4.3.1 **स्वतंत्र रूप से चुना गया रोज़गार, ज़बरन मज़दूरी की मनाही।** आपूर्तिकर्ता को ज़बरन मज़दूरी के किसी भी रूप का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें (कर्जदार बंधुआ सहित) बंधुआ, करारबद्ध या अनिच्छुक जेल मज़दूरी, दासता या मानव तस्करी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसमें श्रम या सेवाओं के लिए धमकी, बल, ज़बरदस्ती, अपहरण या धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों को ले जाना, आश्रय, भर्ती, स्थानांतरण या प्राप्ति शामिल है। आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में प्रवेश करने या बाहर आने पर रोक के साथ-साथ सुविधा में श्रमिकों की स्वतंत्र आवाज़ाही पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आपूर्तिकर्ता के कामगारों को उनकी मूल भाषा में या कामगार द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा में लिखित रोज़गार अनुबंध प्रदान किया जाना अनिवार्य है। कामगारों के लिए सरकार द्वारा जारी की गई कागज़ी कार्यवाही (जैसे ID, पासपोर्ट, कार्य परमिट आदि) को आपूर्तिकर्ता और एजेंट तब तक रोक कर नहीं रख सकते, जब तक कि ऐसा करने की क़ानूनी बाध्यता न हो। सारा काम स्वैच्छिक है और अगर कामगार के अनुबंध के अनुसार उचित नोटिस दिया जाता है, तो कामगार किसी भी समय काम छोड़ने अथवा अपने रोज़गार को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपूर्तिकर्ता को सभी छोड़ने वाले श्रमिकों का दस्तावेज़ बनाए रखना होगा। कामगारों से अपने रोज़गार के लिए नियोक्ताओं या एजेंटों को भर्ती शुल्क या अन्य संबंधित शुल्कों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यदि पाया गया कि ऐसे किसी शुल्क का कामगारों द्वारा भुगतान किया गया है, तो ऐसे शुल्क कामगार को चुका दिए जाएंगे।
- 4.3.2 **युवा कामगार।** विनिर्माण के किसी भी चरण में बाल श्रम का उपयोग नहीं किया जाएगा। रोज़गार या काम के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष से अधिक है, जो संबंधित देश में रोज़गार पाने की न्यूनतम आयु या संबंधित देश में अनिवार्य शिक्षा पूरी करने की आयु है। 18 वर्ष से कम आयु के कामगार (युवा कामगार) रात की पाली और ओवरटाइम सहित ऐसे काम नहीं करेंगे, जो स्वास्थ्य या सुरक्षा को ख़तरे में डाल सकते हैं। लागू क़ानूनों और विनियमों का अनुपालन करने वाले न्यायसंगत कार्यस्थल

शिक्षण कार्यक्रमों के इस्तेमाल का समर्थन किया जाता है। आपूर्तिकर्ता विद्यार्थियों के अभिलेखों के समुचित रखरखाव, शैक्षिक भागीदारों के कठोर समुचित उद्यम, और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार विद्यार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा के जरिए विद्यार्थी कामगारों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। स्थानीय कानून की अनुपस्थिति में, विद्यार्थी कामगारों, इंटरन और प्रशिक्षुओं के लिए मजदूरी की दर कम से कम वही होगी जो समान या उसी जैसा काम करने वाले प्रवेश-स्तर के अन्य कामगारों की होती है। आपूर्तिकर्ता और एजेंट कामगारों की उम्र की जाँच करने के लिए एक उचित व्यवस्था लागू करेंगे। यदि बाल श्रम की पहचान की जाती है, तो आपूर्तिकर्ता इसमें तुरंत सुधार करेगा।

**4.3.3 काम करने के घंटे।** काम करने के घंटे स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम घंटों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, कोई कार्य सप्ताह ओवरटाइम सहित प्रति सप्ताह 60 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए (सारा ओवरटाइम स्वेच्छिक होना चाहिए, आपातकालीन या असामान्य स्थितियाँ अपवाद हैं। कामगारों को हर सात दिन में कम से कम एक दिन की छुट्टी दी जाएगी।

**4.3.4 मजदूरी और लाभ।** आपूर्तिकर्ता को मजदूरी और लाभों (न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम वेतन/दर, समान पारिश्रमिक और कानूनी रूप से अनिवार्य लाभों सहित) से संबंधित लागू कानूनों का पालन करना पड़ेगा। सारे कामगार समान काम और योग्यता के लिए समान वेतन प्राप्त करेंगे, आपूर्तिकर्ता को किसी अनुशासनात्मक कदम के रूप में मजदूरी कटौत नहीं काटनी चाहिए और हर वेतन अवधि का स्पष्ट और समझ में आने लायक विवरण देने के साथ-साथ कामगारों को समय पर अवश्य भुगतान करना चाहिए। अस्थायी, प्रेषण और आउटसोर्स किए गए श्रम का सभी उपयोग स्थानीय कानून की सीमा के भीतर होगा।

**4.3.5 मानवीय बर्ताव।** आपूर्तिकर्ता सभी कामगारों के साथ सम्मानजनक और गरिमापूर्ण व्यवहार करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि वे हिंसा, लिंग-आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक दंड, मानसिक या शारीरिक ज़बरदस्ती, दादागिरी, सार्वजनिक रूप से शर्मसार किए जाने या मौखिक गालियाँ दिए जाने जैसे अप्रिय, कठोर या अमानवीय व्यवहार से सुरक्षित हैं; न ही उनके साथ इस तरह का कोई बर्ताव किए जाने का खतरा मौजूद है। इन ज़रूरतों के समर्थन में अनुशासनात्मक नीतियों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा तथा इनके बारे में कामगारों को बताया जाएगा।

**4.3.6 गैर-भेदभाव/गैर-उत्पीड़न।** आपूर्तिकर्ता भर्ती करने और रोज़गार की प्रक्रियाओं में नस्ल, रंग, उम्र, लिंग, सेक्सुअल रुझान, लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति, जातीयता या राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, गर्भावस्था, धर्म, राजनीतिक जुड़ाव, संघीय सदस्यता, कवर की गई वयोवृद्धता, संरक्षित आनुवंशिक जानकारी या वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्पीड़न या भेदभाव करने में लिप्त नहीं होगा और इसका कतई समर्थन नहीं करेगा। कामगारों को विकलांगता की स्थिति में और धार्मिक परंपराएँ निभाने के लिए माकूल जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, कामगारों या संभावित कामगारों के ऐसे मेडिकल टेस्ट या परीक्षण नहीं कराए जाएँगे, जिनका इस्तेमाल भेदभावपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। आपूर्तिकर्ता समान अवसरों को बढ़ावा देगा।

**4.3.7 एसोसिएशन और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता।** आपूर्तिकर्ता अपने कामगारों के ट्रेड यूनियन बनाने, अपनी पसंद की ट्रेड यूनियनों में शामिल होने, सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने और शांतिपूर्ण सभाओं के साथ जुड़ने वाले अधिकार का सम्मान करेंगे, साथ ही कामगारों के ऐसी गतिविधियों से दूर रहने के अधिकार का भी सम्मान करेंगे। कामगार और/या उनके प्रतिनिधि किसी भेदभाव, प्रतिशोध, धमकी या उत्पीड़न से डरे बिना काम के हालात और प्रबंधन की प्रक्रियाओं को लेकर प्रबंधन के साथ खुला संवाद कर सकेंगे तथा अपने विचारों, सुझावों और चिंताओं को साझा करने में सक्षम होंगे। जहाँ संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार लागू कानूनों और विनियमों द्वारा प्रतिबंधित है, श्रमिकों को श्रमिक प्रतिनिधित्व के वैकल्पिक वैध रूपों को चुनने और शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

**4.4 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाएँ।** आपूर्तिकर्ता अपने कामगारों और अपनी गतिविधियों से प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित और भला चंगा कार्यस्थल व देखभाल प्रदान करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता ISO45001 जैसे मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करेंगे, और किसी थर्ड-पार्टी सनद को प्रोत्साहित किया जाता है।

**4.4.1 पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा।** आपूर्तिकर्ता कार्यस्थल के खतरों (जैसे, रासायनिक, विद्युत, और अन्य ऊर्जा स्रोतों, आग, वाहन, और गिर पड़ने के खतरे) की पहचान और मूल्यांकन करेंगे तथा उपयुक्त डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक नियंत्रण, रोकथाम संबंधी रखरखाव, सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण के जरिए इनको नियंत्रित करेंगे। जहाँ इन तरीकों से खतरों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, वहाँ श्रमिकों को इन खतरों से जुड़े जोखिमों के बारे में उचित, अच्छी तरह से बनाए रखा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाएगी। लिंग-उत्तरदायी उपाय किए

जाएंगे, जैसे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को ऐसे कामकाजी परिस्थितियों में न रखना, जो उनके या उनके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है और निर्दोष माताओं के लिए उचित आवास प्रदान करना होगा।

- 4.4.2 **आपातकालीन मुस्तैदी**। आपूर्तिकर्ता आपातकालीन रिपोर्टिंग, कर्मचारी अधिसूचना एवं निकासी प्रक्रियाओं, कामगार प्रशिक्षण एवं सुनिश्चित अभ्यास, आग का ठीक से पता लगाने और उसे बुझाने के उपकरण, साफ और बाधारहित निकासी, पर्याप्त निकासी सुविधाओं, आपातकालीन बचाव कर्मियों और रिकवरी प्लानों के लिए संपर्क जानकारी सहित आपातकालीन योजनाओं और कार्ययोजना की प्रक्रियाओं को लागू करते हुए आपातकालीन स्थितियों की पहचान, आकलन करेगा और इनके लिए तैयार रहेगा। आपातकालीन कवायद कम से कम वार्षिक रूप से या स्थानीय कानून की आवश्यकता के अनुसार, जो भी अधिक कठोर हो, निष्पादित की जाएगी।
- 4.4.3 **पेशागत चोट और बीमारी**। आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पेशागत चोट और बीमारी को रोकने, प्रबंधित करने, ट्रैक करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं तथा निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं: कामगार रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करें; चोट और बीमारी के मामलों को वर्गीकृत और दर्ज करें; ज़रूरी चिकित्सा उपचार प्रदान करें; मामलों की जाँच-पड़ताल करें और उनकी वजहों को खत्म करने वाले सुधारात्मक कदम उठाएँ; साथ ही कामगारों की काम पर वापसी संपन्न कराएँ। आपूर्तिकर्ता को श्रमिकों को आसन्न नुकसान से खुद को दूर रखने और प्रतिशोध के डर के बिना, जब तक स्थिति सही नहीं हो जाती, तब तक वापस न लौटने की अनुमति देनी होगी।
- 4.4.4 **औद्योगिक स्वच्छता**। आपूर्तिकर्ता के रासायनिक, जैविक और भौतिक एजेंटों के संपर्क में आने वाले कामगारों की पहचान की जाएगी, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और नियंत्रणों के क्रमानुसार उन्हें नियंत्रित किया जाएगा। जब खतरों को पर्याप्त रूप से समाप्त या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तब कामगारों को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे और वे उनका उपयोग कर सकेंगे। आपूर्तिकर्ता श्रमिकों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करेगा, जिसे श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्य वातावरण की निरंतर, व्यवस्थित निगरानी के माध्यम से बनाए रखा जाएगा। यदि पेशागत जोखिमों से श्रमिकों के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, आपूर्तिकर्ता को नियमित रूप से मूल्यांकन करने के लिए पेशागत स्वास्थ्य निगरानी प्रदान करनी होगी। सुरक्षात्मक व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू रहेंगे और इसमें कार्यस्थल के खतरों से जुड़े जोखिमों के बारे में शैक्षणिक सामग्री शामिल होगी।
- 4.4.5 **शारीरिक रूप से असामान्य मेहनत वाला कार्य**। मैनुअल रूप से सामग्री के रखरखाव और भारी या बार-बार उठाने वाले, लंबे समय तक खड़े रहने वाले और अत्यधिक दोहराव या बलपूर्वक संयोजन के कार्य सहित, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य के खतरों के संपर्क में आने वाले आपूर्तिकर्ता के श्रमिकों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण किया जाएगा।
- 4.4.6 **मशीन को सुरक्षित रखना**। आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि निर्मित चीज़ों और अन्य मशीनरी का सुरक्षा संबंधी खतरों को लेकर मूल्यांकन अवश्य किया जाए। जहाँ मशीनों से कामगारों को चोट का खतरा महसूस हो, वहाँ शारीरिक रक्षक, इंटरलॉक और बैरियर प्रदान किए जाएंगे और उनका उचित रखरखाव किया जाएगा।
- 4.4.7 **स्वच्छता, भोजन और आवास**। आपूर्तिकर्ता कामगारों को स्वच्छ शौचालय की सुविधाएँ, पेयजल तथा भोजन तैयार करने, उसका भंडारण करने और बैठ कर खाने की साफ-सुथरी सुविधाएँ प्रदान करेगा। आपूर्तिकर्ता या किसी श्रमिक एजेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए कामगार शयनगृहों का साफ-सुथरा एवं सुरक्षित होना ज़रूरी है, साथ ही उनमें उपयुक्त आपातकालीन निकास, गर्म पानी, पर्याप्त रोशनी, पर्याप्त अनुकूल हवा की आवाजाही, निजी और मूल्यवान वस्तुओं के भंडारण हेतु अपना सुरक्षित स्थान तथा प्रवेश और निकास के विशेषाधिकार वाला वाजिब निजी रास्ता मौजूद होना चाहिए।
- 4.4.8 **स्वास्थ्य और सुरक्षा संदेश**। आपूर्तिकर्ता कार्यस्थल की स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी समुचित जानकारी तथा प्रशिक्षण कामगारों को उनकी ही भाषा में या उस भाषा में प्रदान करेंगे, जिसे कामगार समझ सकता है। यह जानकारी कार्यस्थल के उन सभी जाने-पहचाने खतरों से संबंधित होगी, जिनका सामना कामगार करते हैं। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फ़ायर और शारीरिक खतरे शामिल हैं, लेकिन बात इन्हीं तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से उस सुविधा में पोस्ट की जानी चाहिए या किसी ऐसे स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए, जिसे कामगार पहचान सकें और वहाँ पहुँच सकें। स्वास्थ्य जानकारी और प्रशिक्षण में यदि लागू हो तो लिंग और उम्र जैसे प्रासंगिक जनसांख्यिकी के विशिष्ट जोखिमों पर सामग्री शामिल होगी। सभी कामगारों को काम शुरू करने से पहले और उसके बाद नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। कामगारों को प्रतिशोध की भावना के बिना किसी भी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंता को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- 4.5 **पर्यावरण संबंधी आचरण**। आपूर्तिकर्ता अपने परिचालन, उत्पादों और सेवाओं के चलते पर्यावरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता ISO14001 या इको मैनेजमेंट एंड ऑडिट सिस्टम (Eco Management and Audit System) (EMAS) जैसे मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली लागू करेंगे तथा थर्ड-पार्टी प्रमाणन को प्रोत्साहित किया जाता है।



- 4.5.1 **पर्यावरण संबंधी अनुमतियाँ और रिपोर्टिंग**। पर्यावरण संबंधी ज़रूरी सभी अनुमतियाँ (जैसे, डिस्चार्ज मॉनीटरिंग), अनुमोदन और पंजीकरण हासिल करना, उन्हें कायम और सामयिक बनाए रखना ज़रूरी है, साथ ही उनकी परिचालन और रिपोर्टिंग संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना होगा।
- 4.5.2 **प्रदूषण निवारण और संसाधन संरक्षण**। आपूर्तिकर्ता जल, जीवाश्म ईंधन, खनिजों और शुद्ध वन उत्पादों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अपनी खपत को उनकी सुरक्षा करके या उत्पादन प्रक्रियाओं को संशोधित करके, रखरखाव और सुविधा की प्रक्रियाओं के जरिए, वैकल्पिक सामग्री प्रदान करके, दोबारा इस्तेमाल करके, संरक्षण, रीसाइक्लिंग करके या दूसरी तरकीबों से उपयुक्त बनाएगा। और प्रदूषण को रोकने तथा मूल स्रोत पर कचरा और उत्सर्जन कम पैदा होने के उपायों को अमल में लाना चाहिए, या इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने जैसी पद्धतियों को लागू किया जाना चाहिए; उत्पादन, रखरखाव और सुविधा की प्रक्रियाओं को संशोधित करना चाहिए; या अन्य तरकीबों से कचरा और उत्सर्जन घटाना चाहिए।
- 4.5.3 **खतरनाक पदार्थ**। मनुष्यों या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करने वाले रसायनों, अपशिष्टों और अन्य सामग्रियों की पहचान की जाएगी, उन पर लेबल लगाया जाएगा जिससे उनका सुरक्षित प्रबंधन, संचालन, भंडारण, उपयोग, पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग और निपटान सुनिश्चित हो सके। खतरनाक अपशिष्ट डेटा को ट्रेक और प्रलेखित किया जाएगा।
- 4.5.4 **ठोस कचरा**। आपूर्तिकर्ता ठोस कचरे (गैर-खतरनाक) की पहचान, प्रबंधन, कमी करने तथा इसका जिम्मेदारी से निपटान करने या रीसाइक्लिंग के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएगा। अपशिष्ट डेटा को ट्रेक और प्रलेखित किया जाएगा।
- 4.5.5 **वायु उत्सर्जन**। वाष्पशील कार्बनिक रसायनों, एरोसोल, संक्षारक, कणों, ओजोन क्षयकारी पदार्थ और संचालन से उत्पन्न दहन उपोत्पादों के वायु उत्सर्जन को निर्वहन से पहले आवश्यकतानुसार चिह्नित, नियमित रूप से निगरानी, नियंत्रित और उपचारित किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता अपनी वायु उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के प्रदर्शन पर नियमित रूप से नज़र रखेगा।
- 4.5.6 **सामग्री पर प्रतिबंध और उत्पाद के घटक**। आपूर्तिकर्ताओं को रीसाइक्लिंग और निपटान के लिए लेबलिंग करने सहित उत्पादों के अंदर और विनिर्माण में खास पदार्थों का इस्तेमाल करने की मनाही या प्रतिबंध के संबंध में लागू कानूनों, विनियमों और CommScope की बाध्यताओं का पालन करना होगा। CommScope की प्रतिबंधित पदार्थ सूची ऑनलाइन Document Library में उपलब्ध है: <https://www.commscope.com/corporate-responsibility-and-sustainability/document-library/>.
- 4.5.7 **जल प्रबंधन**। आपूर्तिकर्ता ऐसा जल प्रबंधन कार्यक्रम लागू करेगा, जो जल स्रोत, जल के इस्तेमाल और उसे डिस्चार्ज करने का दस्तावेजीकरण करता है, लक्षण चिह्नित करता है, इनकी निगरानी करता है; जल संरक्षण के मौके तलाशता है तथा जल-प्रदूषण के चैनलों को नियंत्रित करता है। डिस्चार्ज या निपटान करने से पहले पूरे अपशिष्ट जल के लक्षण चिह्नित करना ज़रूरी है तथा ज़रूरत के अनुसार उसकी निगरानी, नियंत्रण और उपचार किया जाएगा। अनुकूलतम कार्य-निष्पादन और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आपूर्तिकर्ता अपनी अपशिष्ट जल उपचार और नियंत्रण प्रणाली के कार्य-निष्पादन की नियमित निगरानी करेगा।
- 4.5.1 **ऊर्जा की खपत, जलवायु परिवर्तन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन**। आपूर्तिकर्ता को एक संपूर्ण कॉर्पोरेट-व्यापी GHG कटौती लक्ष्य स्थापित करना होगा और उसके विरुद्ध रिपोर्ट करनी होगी। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला में GHG की अपेक्षाओं का प्रसार करेगा। ऊर्जा की खपत और सभी स्कोप 1, 2, और स्कोप 3 GHG उत्सर्जन की महत्वपूर्ण श्रेणियों को ट्रेक किया जाएगा, प्रलेखन किया जाएगा और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता को ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और अपनी ऊर्जा खपत और GHG उत्सर्जन को कम करने के तरीकों की तलाश करनी होगी।
- 4.6 **नैतिक आचरण**। आपूर्तिकर्ता अपने कारोबार का संचालन नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानक और लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार करेगा। आपूर्तिकर्ताओं से निम्नलिखित क्षेत्रों की ज़रूरतों के अनुरूप ढलने की अपेक्षा की जाती है:
- 4.6.1 **व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, रिश्त-विरोध और भ्रष्टाचार-विरोध**। आपूर्तिकर्ता सारे व्यावसायिक लेन-देन में सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को कायम रखेगा। आपूर्तिकर्ताओं के पास किसी भी और सभी प्रकार की रिश्तखोरी, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और गबन पर रोक लगाने वाली एक ज़ीरो-टॉलरेंस नीति मौजूद होनी ही चाहिए।
- रिश्त या गैरज़रूरी और अनुचित लाभ प्राप्त करने के अन्य साधनों का वादा, पेशकश, इच्छितार नहीं दिया या स्वीकार किया जाएगा। CommScope, उसके कर्मचारियों या प्रतिनिधियों के आचरण को प्रभावित करने या समझौता करने के इरादे से डिज़ाइन की गई रिश्तों, "किकबैक्स" या अन्य भुगतानों के रूप में आपूर्तिकर्ता की किसी भी निधि या परिसंपत्ति को जमा करके, कर्ज़ देकर या भिन्न तरीकों से नहीं चुकाया जाएगा।

आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागू रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों (जिसमें संशोधित यूनाइटेड स्टेट्स (U.S.) विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (United States (U.S.) Foreign Corrupt Practices Act) और यूनाइटेड किंगडम (U.K.) रिश्वत अधिनियम (United Kingdom (U.K.) Bribery Act) शामिल हैं, लेकिन बात इन्हीं तक सीमित नहीं है) का पालन करना अनिवार्य है तथा उनके पास इस तरह के कानूनों का अनुपालन करवाने और निगरानी करने वाली पर्याप्त प्रक्रियाएँ और नीतियाँ ज़रूर मौजूद होनी चाहिए।

- 4.6.2 **हितों का टकराव।** आपूर्तिकर्ताओं को CommScope के कर्मचारियों के साथ हितों के वास्तविक, संभावित या कथित टकराव से बचना चाहिए। यदि हितों का टकराव होता है, तो आपूर्तिकर्ता को उसका खुलासा करना चाहिए, ताकि हालात पर काबू पाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें।
- 4.6.3 **जानकारी का खुलासा करना।** सभी कारोबारी लेन-देन पारदर्शी रूप से संपन्न किए जाने चाहिए और इनका आपूर्तिकर्ता की बिजनेस-बुक और रिकॉर्ड्स में सटीकता से दर्ज होना ज़रूरी है। आपूर्ति श्रृंखला में रिकॉर्ड्स की जालसाज़ी या शर्तों व पद्धतियों की ग़लत व्याख्या हरगिज़ स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 4.6.4 **बौद्धिक संपदा।** आपूर्तिकर्ता दूसरों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करेंगे, जिनमें CommScope, उससे संबद्ध लोग और कंपनियाँ तथा व्यावसायिक भागीदार शामिल हैं। आपूर्तिकर्ताओं को CommScope की गोपनीय और मालिकाना जानकारी सुरक्षित और कायम रखने वाले उपयुक्त कदम उठाने होंगे तथा ऐसी जानकारी का इस्तेमाल केवल CommScope द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के काम आने के लिए ही किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ता CommScope के सभी पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स का अनिवार्य रूप से पालन और सम्मान करेंगे तथा इनका इस्तेमाल करने के संबंध में CommScope द्वारा निर्धारित सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपूर्तिकर्ता CommScope की गोपनीय या मालिकाना जानकारी को इंटरनेट के माध्यम से तब तक प्रसारित नहीं करेंगे जब तक कि ऐसी जानकारी को CommScope द्वारा स्थापित न्यूनतम मानकों के अनुसार एन्क्रिप्ट नहीं कर दिया जाता।
- 4.6.5 **निष्पक्ष कारोबार, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा।** आपूर्तिकर्ताओं को एकाधिकारी व्यापार-रोधी और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कानूनों का पूर्ण अनुपालन करते हुए अपना कारोबार संचालित करना होगा तथा लागू कानूनों के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियों, व्यापारिक संरचना, वित्तीय स्थिति और कारोबारी प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी का खुलासा करना पड़ेगा। साथ ही निष्पक्ष कारोबार, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा के मापदंडों को बरकरार रखना होगा।
- 4.6.6 **पहचान की सुरक्षा और प्रतिशोध न लेना।** आपूर्तिकर्ता ऐसे कार्यक्रम लागू करेगा और उन्हें कायम रखेगा जो आपूर्तिकर्ता तथा मुखबिर कर्मचारियों की गोपनीयता, गुमनामी व सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं जब तक कि कानून द्वारा इसकी मनाही न हो। आपूर्तिकर्ता के पास अपने कर्मियों के लिए प्रतिशोध से डरे बगैर किसी भी चिंता को उठाने के काबिल होने के लिए एक बताई गई प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए।
- 4.6.7 **गोपनीयता।** आपूर्तिकर्ता अपने आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों सहित उनके साथ कारोबार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की निजी जानकारी को गोपनीय रखने से जुड़ी वाजिब अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। निजी जानकारी एकत्रित, संचित, विकसित, प्रसारित और साझा करते समय आपूर्तिकर्ता को गोपनीयता व सूचना सुरक्षा कानूनों तथा नियामक बाध्यताओं का पालन करना होगा।
- 4.6.8 **खनिजों को जिम्मेदारी से हासिल करना।** आपूर्तिकर्ताओं को एक नीति अपनानी होगी और उपयुक्त रूप से यह आश्वासन देने में उचित सावधानी बरतनी होगी कि उनके द्वारा निर्मित उत्पादों में टिन, टैंटलम, टंगस्टन, सोना ((आमतौर पर 3TGs के रूप में जाना जाता है) और विस्तारित खनिज कोबाल्ट और अभ्रक उन सशस्त्र समूहों को अप्रत्यक्ष रूप से धन मुहैया न कराए या लाभ न पहुँचाए जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या समीपवर्ती देश में मानव अधिकारों का गंभीर दुरुपयोग करने के अपराधी हैं। अनुरोध करने पर आपूर्तिकर्ता CommScope को जानकारी प्रदान करेंगे।
- 4.7 **प्रबंधन प्रणाली।** आपूर्तिकर्ताओं को इस संहिता के अनुरूप नीतियों का विकास, रखरखाव और कार्यान्वयन करना चाहिए तथा संहिता का अनुपालन प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त प्रबंधन प्रणालियों और दस्तावेज़ीकरण को कायम रखना चाहिए। प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित तत्व शामिल होने चाहिए:
- 4.7.1 **कंपनी की प्रतिबद्धता।** आपूर्तिकर्ता को कार्यकारी प्रबंधन द्वारा समर्थित उचित सावधानी और निरंतर सुधार के लिए आपूर्तिकर्ता के अनुपालन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मानवाधिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण और नैतिकता नीति वक्तव्य स्थापित करने होंगे। नीति वक्तव्य सुविधा-केंद्र में लगाए जाएंगे और श्रमिकों को सुलभ चैनलों के माध्यम से उस भाषा में सूचित किया जाएगा जिसे वे समझते हैं।

- 4.7.2 **प्रबंधन की जवाबदेही और जिम्मेदारी।** आपूर्तिकर्ता को प्रबंधन प्रणालियों और संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ कार्यकारी और कंपनी प्रतिनिधि(यों) की स्पष्ट रूप से पहचान करनी होगी। वरिष्ठ प्रबंधन नियमित रूप से प्रबंधन प्रणाली के हालात का जायज़ा लेता रहता है।
- 4.7.3 **कानूनी और ग्राहक ज़रूरतें।** आपूर्तिकर्ता को इस संहिता की आवश्यकताओं सहित लागू कानूनों, विनियमों और ग्राहक आवश्यकताओं की पहचान करने, निगरानी करने और समझने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी या स्थापित करनी होगी।
- 4.7.4 **जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन।** आपूर्तिकर्ता को कानूनी अनुपालन, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा और श्रम अभ्यास और नैतिक जोखिमों की पहचान और नियंत्रण करने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी होगी या स्थापित करनी होगी, जिसमें आपूर्तिकर्ता के संचालन से जुड़े गंभीर मानव अधिकारों और पर्यावरणीय प्रभावों के जोखिम भी शामिल हैं। आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक जोखिम के लिए सापेक्ष महत्व का निर्धारण करना होगा और पहचाने गए जोखिमों को नियंत्रित करने और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रियात्मक और भौतिक नियंत्रण लागू करना होगा।
- 4.7.5 **सुधार के उद्देश्य।** आपूर्तिकर्ता अपने सामाजिक और पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रदर्शन के लिखित उद्देश्य, लक्ष्य और कार्यान्वयन योजनाएँ स्थापित करेगा जिसमें उन उद्देश्यों की प्राप्त करने की दिशा में आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए प्रदर्शन का समय-समय पर मूल्यांकन करना शामिल है।
- 4.7.6 **प्रशिक्षण।** आपूर्तिकर्ता को आपूर्तिकर्ता की नीतियों, प्रक्रियाओं, सुधार उद्देश्यों को लागू करने और लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण प्रबंधकों और श्रमिकों के लिए कार्यक्रम स्थापित करने होंगे।
- 4.7.7 **संप्रेषण/संचार/संदेश।** आपूर्तिकर्ता को श्रमिकों, आपूर्तिकर्ताओं और CommScope को आपूर्तिकर्ता की नीतियों, प्रथाओं, अपेक्षाओं और प्रदर्शन के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी संप्रेषित करने की प्रक्रिया स्थापित करनी होगी।
- 4.7.8 **कामगार/हितधारक की भागीदारी और समाधान तक पहुँच।** आपूर्तिकर्ता को जहाँ प्रासंगिक या आवश्यक हो, श्रमिकों, उनके प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ चल रहे दो-तरफा संचार के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित करनी होंगी। इस प्रक्रिया का लक्ष्य इस संहिता में शामिल परिचालन परिपाटियों और शर्तों पर फीडबैक प्राप्त करना और निरंतर सुधार को बढ़ावा देना होगा। कामगारों को बदला या प्रतिशोध से डरे बिना शिकायत करने और फीडबैक देने के लिए एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाना चाहिए।
- 4.7.9 **ऑडिट और आकलन।** आपूर्तिकर्ता को कानूनी और नियामक आवश्यकताओं, संहिता की सामग्री और सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी से संबंधित CommScope संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर स्व-मूल्यांकन करना होगा।
- 4.7.10 **सुधारात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया।** आपूर्तिकर्ता को आंतरिक या बाह्य मूल्यांकन, निरीक्षण, जांच और समीक्षाओं द्वारा पहचानी गई कमियों के समय पर सुधार के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करनी होगी।
- 4.7.11 **दस्तावेज़ीकरण और रिकॉर्ड्स।** आपूर्तिकर्ता को निजता की रक्षा के लिए उचित गोपनीयता के साथ-साथ नियामक अनुपालन और कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप होना सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ और रिकॉर्ड बनाने होंगे और इन्हें बनाए रखना होगा।
- 4.7.12 **आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी।** आपूर्तिकर्ता को आपूर्तिकर्ताओं को कोड आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने और कोड के प्रति आपूर्तिकर्ता अनुपालन की निगरानी करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करनी होगी।

#### 4.8 अतिरिक्त ज़रूरतें।

- 4.8.1 **निर्यात प्रतिबंध / आतंकवादी गतिविधियाँ।** CommScope के आपूर्तिकर्ताओं को ऐसे किसी भी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना चाहिए जिससे CommScope और खुद के द्वारा यू.एस. या अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रणों का उल्लंघन होता हो। अमेरिकी सरकार या किसी अन्य राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा संकलित आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों की किसी भी सूची और/या प्रतिबंध की सूची में न तो आपूर्तिकर्ताओं और न ही उनके किसी भी सहयोगी, न ही आपूर्तिकर्ता या उसके किसी भी सहयोगी के किसी भी अधिकारी या निदेशक का नाम शामिल होना चाहिए। CommScope के आपूर्तिकर्ताओं को चाहिए कि वे:
- (i) यू.एस. और सभी लागू अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध कानूनों और विनियमों के साथ-साथ CommScope या आपूर्तिकर्ता पर लागू सभी यू.एस. और अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रणों का अनुपालन करें;
  - (ii) यू.एस. और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का अनुपालन करने के लिए CommScope द्वारा अपेक्षित सारी जानकारी प्रदान करें। विशेष रूप से, आपूर्तिकर्ताओं से ऐसा स्पष्ट और प्रभावशाली साक्ष्य प्रदान करना अपेक्षित होता है जो CommScope को

- प्रदान की गई सामग्री, घटकों, माल या वस्तुओं में संलग्न सभी उप-स्तर आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और स्थान प्रकट करता हो।
- (iii) ऐसे व्यक्तियों, इकाइयों, संगठनों या देशों के साथ कारोबार न करें, जो यू.एस. या लागू अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध कानूनों और विनियमों के निशाने पर हैं;
  - (iv) ऐसी किसी भी बहिष्कृत या प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति में हरगिज़ भाग न लें, जिससे यू.एस. के बहिष्कार विरोधी कानूनों का उल्लंघन होता हो; तथा
  - (v) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी आतंकवादी गतिविधि या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल न हों या इसमें सहयोग न करें।
- 4.8.2 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा डेटा और जानकारी प्रदान करना** अनुरोध करने पर, सभी आपूर्तिकर्ता लागू कानूनों, विनियमों और मानकों का अनुपालन करने के लिए CommScope द्वारा अपेक्षित संगत डेटा और जानकारी प्रदान करेंगे। इसमें EU कार्बन बॉर्डर अजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM), यूरोपीय संघ वनों की कटाई-मुक्त विनियमन (EUDR), ऊर्जा खपत, GHG में कमी करने के लक्ष्य, GHG उत्सर्जनों के स्कोप 1, 2 और स्कोप 3 की महत्वपूर्ण श्रेणियों, कार्बन फुटप्रिंट और क्रेडल-टू-ग्रव ऑपरेशनल डेटा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समाहित उत्सर्जन, उत्पाद कॉन्टेंट और सामग्री अवयव रिपोर्ट, उद्गम के देश, विनिर्माण के देश, आपूर्ति श्रृंखला उचित सावधानी और CommScope को आपूर्ति सेवाओं, सामग्री, घटकों और पुर्जों के लिए आधुनिक दासता, जबरन मज़दूरी, बाल मज़दूरी और संवहनीयता से संबंधित अन्य कानून का अनुपालन प्रकट करने के लिए की गई कार्रवाइयों की अपेक्षाएं सम्मिलित हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- 4.8.3 आपूर्तिकर्ताओं से आग्रह।** सभी आपूर्तिकर्ता CommScope की सुविधाओं, कार्यालयों एवं विभागों तथा कर्मचारियों तक पहुँच बनाने के संबंध में CommScope द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। कोई भी आपूर्तिकर्ता CommScope बिरादरी को अनापेक्षित इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के उद्देश्य से CommScope के इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम और इंटरनेट साइट सहित उसके कंप्यूटर सिस्टम का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। आपूर्तिकर्ताओं को ट्रेड शो आयोजित करने, उत्पादों का प्रदर्शन करने, CommScope के संसाधनों (जैसे बुलेटिन बोर्ड्स) का उपयोग करने या CommScope के विभागों को अनपेक्षित कॉल करने के लिए CommScope आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (CommScope Supply Chain Management) से पूर्व-लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 4.8.4 निगरानी और अनुपालन।** CommScope या उसके प्रतिनिधि आपूर्तिकर्ता द्वारा इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि के लिए निगरानी करने वाली गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, इनमें ऑन-साइट ऑडिट्स और सुविधाओं का निरीक्षण, प्रश्रवली का उपयोग, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी की समीक्षा करना शामिल है, अथवा वे आपूर्तिकर्ता के प्रदर्शन का आकलन करने और उपयुक्त कानूनी ज़रूरतों का वाजिब तत्परता से अनुपालन कराने वाले अन्य ज़रूरी उपाय कर सकते हैं। इस नीति के उल्लंघन से अवगत होने वाला CommScope का कोई भी आपूर्तिकर्ता या कर्मचारी CommScope आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सूचित करने के लिए बाध्य है। CommScope को उपलब्ध कराई गई जानकारी के आकलन की बुनियाद पर संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी संभावित आपूर्तिकर्ता को अयोग्य घोषित करने या देनदारी के बिना ही किसी भी मौजूदा आपूर्तिकर्ता के साथ हर तरह के संबंध खत्म करने का अधिकार (अन्य सभी कानूनी और ठेका-संबंधी अधिकारों के अलावा) CommScope सुरक्षित रखती है।

आपूर्तिकर्ताओं को उनकी पर्यावरण से जुड़ी, सामाजिक परिस्थितियों और नैतिक आचरण में निरंतर सुधार करने का जिम्मा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

गैरकानूनी, अनैतिक या अनुचित आचरण को लेकर होने वाली चिंताओं की रिपोर्ट हर कोई कर सकता है। हम एक सख्त नीति लागू करते हैं जो किसी सद्बिश्वास में किसी चिंता या संदिग्ध कदाचार की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिशोध को रोकती है।

अपनी चिंता को रिपोर्ट करने के लिए कृपया निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प चुनें:

- हमारे कॉर्पोरेट नैतिकता और अनुपालन अधिकारी को [ethics@commscope.com](mailto:ethics@commscope.com) पर ईमेल करें।
- CommAlert® का इस्तेमाल करके कोई गोपनीय रिपोर्ट सबमिट करें। जहाँ लागू कानून इजाज़त देता है, वहाँ CommAlert अनाम रिपोर्टिंग का समर्थन करता है।
  - अमेरिका में, 866-277-2410 डायल करें। यू.एस. के बाहर से आने वाली कॉल के लिए [किसी देश-विशिष्ट कोड](#) की ज़रूरत होती है।
  - [commalert.alertline.com](http://commalert.alertline.com) पर जाएं, या EU में लोकेशनों के लिए [commalert-europe.alertline.com](http://commalert-europe.alertline.com) पर जाएं।



आपूर्तिकर्ता द्वारा इस संहिता का अनुपालन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप एक CommScope आपूर्तिकर्ता के तौर पर उसका हर अनुबंध समाप्त हो सकता है।

## 5.0 आवेदन/बहिष्करण

यह संहिता पूर्तिकर्ताओं के संबंध में CommScope की अपेक्षाओं का एक व्यापक कथन है। CommScope के सभी आपूर्तिकर्ताओं, उनके कर्मचारियों और विस्तारित आपूर्ति श्रृंखला से इस संहिता में वर्णित ज़रूरतों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इस कोड को किसी भी (i) प्रस्ताव या अन्य आग्रह का अनुरोध करने अथवा (ii) CommScope व आपूर्तिकर्ता के बीच तथा इनके द्वारा किए गए अनुबंधों में आपूर्तिकर्ता के लिए तय की गई किन्हीं देनदारियों के स्थान पर नहीं, बल्कि इनको शामिल करते हुए पढ़ा जाना चाहिए। इस संहिता और किसी भी CommScope आग्रह दस्तावेज़ या लागू अनुबंध के बीच टकराव होने की स्थिति में आग्रह दस्तावेज़ या लागू अनुबंध की शर्तों का नियंत्रण होगा।

इस संहिता पर कोई भी बहिष्करण लागू नहीं हैं।

## 6.0 संशोधन का इतिहास

| जारी करने की तारीख | DCR             | संशोधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 दिसंबर, 2010    | CTV-74-006-06   | मूल दस्तावेज़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26 मार्च, 2018     | CS-SC-2000-04   | नई QMS नीति का टेम्पलेट और संख्यांकन योजना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 जून, 2022       | COMM-SC-2000-04 | नई QMS नीति का टेम्पलेट और संख्यांकन योजना।<br>RBA आचार संहिता 7.0. के अनुरूप नीतिगत ज़रूरतें।<br>स्वामित्व: Damien O'Sullivan (निदेशक, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व)/अनुमोदक Boris Kokotovic (SVP, गुणवत्ता) • Geoff Sullivan (मुख्य अधिप्राप्ति अधिकारी) • Jessica Snyder (मूल COMM-SC-2000 की स्वामिनी, प्रोजेक्ट प्रबंधन विशेषज्ञ, अधिप्राप्ति संचालन)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 फरवरी 2023      | 2023- 0118-0251 | अनुभाग 4.8.1 – पैराग्राफ (ii), अनुभाग 7.0 में नई अपेक्षाएं जोड़ी गई – आपूर्ति श्रृंखला मैपिंग और प्रसार अपेक्षाओं को जोड़ा गया।<br>स्वामित्व: Damien O'Sullivan (निदेशक, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व)/अनुमोदक Boris Kokotovic (SVP, गुणवत्ता) • Geoff Sullivan (मुख्य अधिप्राप्ति अधिकारी) • Beth Elliott (मूल COMM-SC-2000 की स्वामिनी, विश्लेषक, वैश्विक अधिप्राप्ति प्रणाली एवं कार्यनीतियाँ, अधिप्राप्ति संचालन)                                                                                                                                                                             |
| 06 फरवरी 2023      | 2023- 0203-1349 | नान-सब्सटान्टिव/कॉस्मेटिक को रिलीज़ तारीख 21 फरवरी, 2023 से बदलकर 06 फरवरी, 2023 करनी है।<br>अनुमोदनकर्ता: Scot Prihar (प्रमुख इंजीनियर, गुणवत्ता)। कॉर्पोरेट DC सभी भूमिकाएं संभालेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 जून, 2024       | 2024-0619-1016  | RBA आचार संहिता 8.0. के अनुरूप नीतिगत ज़रूरतें।<br>स्वामित्व: Damien O'Sullivan (निदेशक, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व)/अनुमोदक Boris Kokotovic (SVP, संचालनात्मक उत्कृष्टता) • Geoff Sullivan (मुख्य अधिप्राप्ति अधिकारी) • Jessica Snyder, (मूल COMM-SC-2000 की स्वामिनी, प्रोजेक्ट प्रबंधन विशेषज्ञ, अधिप्राप्ति CTRO और संचालन)।                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 06 फरवरी 2026      | 2025-1202-1253  | सेक्शन 4.6.8 में छोटा सा अपडेट किया गया है, जिसमें माइका को ज़िम्मेदार सोर्सिंग मिनरल्स की लिस्ट में जोड़ा गया है।<br>सेक्शन 4.8.2 में EU डिफॉरैस्टेशन-फ्री रेगुलेशन (EUDR) जोड़ा गया है।<br>स्वामित्व: Damien O'Sullivan (निदेशक, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व)/अनुमोदक Boris Kokotovic (SVP, Broadband Quality & OpEx) • Steven Baren ( Sr Dir, Building & Campus Quality) • Norma DeAlva ( Dir, Datacenter Quality) • Matthew Lee (Sr Dir, Procurement) • Sharon Mackay (VP, Procurement CTRO & Ops); EDITOR: Ai-Ju Wang (Sr Mgr, EHS & Compliance); DC: Ruth Elder (Coordinator III, Quality) |

## 7.0 अभिस्वीकृति (Acknowledgement)

[आपूर्तिकर्ता का नाम] इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

- हमें CommScope की आपूर्तिकर्ता आचार संहिता ("संहिता") प्राप्त हो गई है और हमने पढ़ ली है।
- हम संहिता (Code) में वर्णित ज़रूरतों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
- हम अनुरोध करने पर लागू कानूनों या विनियमों से संगत, CommScope को प्रदान किए गए उत्पादों का ऐसा आपूर्ति शृंखला मैप प्रदान करेंगे जो अनुरोध किए गए उत्पादों के लिए सभी आपूर्तिकर्ताओं और उप-स्तर आपूर्तिकर्ताओं और उनके लोकेशनों को चिह्नित करता है।
- अनुरोध करने पर, हम पैराग्राफ 4.8.2 में वर्णित संगत डेटा और जानकारी प्रदान करेंगे।
- हम अपने कर्मचारियों, उप ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को संहिता की सामग्री के बारे में सूचित करेंगे और संहिता अपेक्षाओं का नीचे हमारी पूरी आपूर्ति शृंखला में प्रसार करेंगे और इसमें सम्मिलित प्रावधानों का उनके द्वारा अनुपालन करने की अपेक्षा करेंगे।
- हम संहिता का उल्लंघन होने के हर मामले की सूचना CommScope को देंगे।

हम विशिष्ट ऑनलाइन प्रश्नावली/साधन, मूल्यांकन, RBA मान्य मूल्यांकन कार्यक्रम (RBA Validated Assessment Program) (VAP) या CommScope के अनुरोध पर थर्ड-पार्टी ऑडिट के माध्यम से इस संहिता का अनुपालन प्रदर्शित करने के लिए सहमत हैं। अनुरोध किए गए ऑनलाइन टूल और/या RBA VAP ऑडिट और/या थर्ड-पार्टी ऑडिट को इस्तेमाल करने का खर्च आपूर्तिकर्ता को उठाना पड़ेगा।

हम लागू कानूनी ज़रूरतों के दायित्वों की पूर्ति के लिए CommScope की वाजिब तत्पर प्रक्रिया के दौरान सहयोग करने और ज़रूरी जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

संहिता का अनुपालन सत्यापित करने के लिए, हम CommScope या CommScope की ओर से काम करने वाले किसी भी संगठन को हमारे परिसर और हमारे उप-ठेकेदार के परिसर में किसी भी समय ऑडिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

आपूर्तिकर्ता कंपनी का नाम:

आपूर्तिकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पद:

हस्ताक्षर और कंपनी की सील/मुहर:

दिनांक: